2020 का विधेयक सं.27

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "बोर्ड" से धारा 2-क के अधीन स्थापित और गठित विनिधान बोर्ड अभिप्रेत है;";

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (कक) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ककक) "आयुक्त" से विनिधान संवर्धन ब्यूरो का आयुक्त (विनिधान और अप्रवासी भारतीय) अभिप्रेत है;";

(iii) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से-

(i) जिला सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रस्तावों की दशा में, सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, या किसी राजस्थान विधि के अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या एजेंसी, जिसे राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने या उसका प्रचालन प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञा मंजूर करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यस्त किये जाते हैं; और

(ii) राज्य सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रस्तावों की दशा में, आयुक्त और/या विनिधान संवर्धन ब्यूरो के कार्यालय में सरकार के संबंधित विभागों/परिकरणों के प्रतिनियुक्त अधिकारी,

अभिप्रेत हैं;"; और

(iv) विद्यमान खण्ड (ज) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (झ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(जज) "वन स्टॉप शॉप" से सरकार या उसके परिकरणों द्वारा नोडल एजेंसी के माध्यम से विनिधानकर्ता को, उसके द्वारा राज्य सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले व्यवहार्य विनिधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय से लेकर उद्यम का प्रचालन प्रारंभ होने तक, एक ही छत के नीचे उपलब्ध करायी गयी व्यापक और निर्बाध सहायता अभिप्रेत है;"।

3. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 में नयी धाराओं 2-क, 2-ख, 2-ग, 2-घ और 2-ङ का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 2 के पश्चात् और विद्यमान धारा 3 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"**2-क. बोर्ड की स्थापना और गठन.-** (1) सरकार, विनिधान बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना और उसका गठन करेगी।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(i)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष;
(ii)	उद्योग विभाग का प्रभारी मंत्री	उपाध्यक्ष;
(iii)	वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री	सदस्य;
(iv)	मुख्य सचिव	सदस्य;
(v)	उद्योग विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य;
(vi)	वित्त विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य;
(vii)	आयुक्त	सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(3) बोर्ड की बैठकों में संबंधित विभाग(विभागों) के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा किन्तु उनको बोर्ड के समक्ष विनिश्चय के लिए किसी मामले पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) बोर्ड, धारा 3 के अधीन विचार किये गये विनिधान प्रस्तावों और राज्य के औद्योगिक विकास और विनिधान संवर्धन से संबंधित और आनुषंगिक समस्त मामलों में त्वरित अनुमोदन और अनुज्ञाएं प्रदान करने के लिए, शीर्ष निकाय होगा।

(5) बोर्ड का सचिवालय, जयपुर स्थित विनिधान संवर्धन ब्यूरो का कार्यालय होगा।

(6) राज्य सशक्त समिति, अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले विनिधान प्रस्तावों के संबंध में विनिश्चय करने के लिए अपनी सिफारिशें बोर्ड को करेगी।

2-ख. बोर्ड की बैठक.- (1) बोर्ड अपनी बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे समय और स्थान पर आयोजित करेगा जैसाकि वह अवधारित करे।

(2) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(3) बोर्ड अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के दौरान प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

2-ग. रिक्तियों इत्यादि से कार्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना.- बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां मात्र इस आधार पर कि बोर्ड में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, प्रश्नगत नहीं की जायेंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी।

2-घ. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.- बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) राज्य में उद्यमों और अवसंरचना सेक्टर(सेक्टरों) में विनिधान को संवर्धित करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों पर विचार करना, उनका पुनर्विलोकन करना, उन्हें बनाना और उनका अनुमोदन करना;

(ii) राज्य में आर्थिक वृद्धि और विकास को गति प्रदान करने, और नियोजन सृजन के लिए बनायी गयी नीतियों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में अपेक्षित उपांतरण करने के लिए मार्गदर्शन और निदेश प्रदान करना;

(iii) उद्यमों को अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरण के लिए और अन्य फायदों के लिए, जो कि सरकार की नीतियों के विस्तार के परे हों,

उनमें अपेक्षित संशोधन करके, अनुमोदन प्रदान करना;

(iv) विनिधान प्रस्तावों से संबंधित अंतरविभागीय विवाद्यकों पर विचार करना और उनका निपटारा करना;

(v) राज्य में विनिधान को संवर्धित करने के लिए विनिधान संवर्धन ब्यूरो को और विनिधान संवर्धन ब्यूरो के माध्यम से सरकार के संबंधित विभागों या परिकरणों को भी, समय-समय पर निदेश देना, यदि आवश्यक हो;

(vi) ऐसे मामलों पर विचार, पुनर्विलोकन और विनिश्चय करना जो राज्य सशक्त समिति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें; और

(vii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना जो राज्य में विनिधान को संवर्धित करने और नियोजन के अवसर सृजित करने के लिए आवश्यक हों।

2-ङ. वन स्टॉप शॉप के अधीन आवेदनों का निपटारा.- (1) राज्य सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले समस्त प्रस्तावों पर वन स्टॉप शॉप के अधीन विचार, उनका परीक्षण और निपटारा किया जायेगा।

(2) आयुक्त, धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित नोडल एजेंसी का प्रशासनिक मुखिया होगा और नोडल एजेंसी के समस्त कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सरकार के संबंधित विभागों या परिकरणों के अधिकारियों को, सरकार के उनसे संबंधित विभागों या परिकरणों के आवश्यक अनुमोदन और अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित नोडल एजेंसी के कार्यालय में अंशकालिक आधार पर प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

(4) नोडल एजेंसी के कार्यालय में इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी, धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, सरकार के उनसे संबंधित विभागों या परिकरणों से आवश्यक सहायता, यदि अपेक्षित हो, लेकर विनिधानकर्ताओं से इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों के निपटारे के लिए उत्तरदायी होंगे और उन प्रस्तावों को आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा और वह, यदि अपेक्षित हो, सरकार के संबंधित विभाग या परिकरण के साथ समन्वय करेगा।

(5) सरकार के परिकरणों सहित संबंधित विभागों द्वारा, विनिधान प्रस्तावों के संबंध में सरकार के विभागों या, यथास्थिति, परिकरणों से संबंधित अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञाएं मंजूर करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य अधिनियमों और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए, अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करके, आयुक्त और/या, यथास्थिति, इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को सशक्त किया जायेगा।

(6) आयुक्त, संबंधित उद्यमों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन या उनका प्रचालन प्रारंभ होने तक, सरकार के संबंधित विभागों और परिकरणों की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करेगा और आवश्यक आदेश जारी करेगा तथा स्वहस्ताक्षरित अनुमोदन/अनुज्ञाएं मंजूर करेगा।

(7) आयुक्त, विनिधान संवर्धन ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तथा विनिधान संवर्धन ब्यूरो में अंशकालिक आधार पर इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा और नियंत्रण रखेगा और वह अन्य कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, निर्वहन करेगा।

(8) जहां विनिधान के लिए इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव उप-धारा (4) के अधीन विहित की गयी समय-सीमा के

<u>भीतर-भीतर नहीं निपटाये जाते हैं तो उन्हें राज्य सशक्त समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।"।</u>

4. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(i) उप-धारा (1) और (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "मंत्रि-परिषद्", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर शब्द "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान शब्द "विभागों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के परिकरणों सहित विभागों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(i) खण्ड (v) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "संबंधित विभागों या प्राधिकारियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के विभागों या परिकरणों" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (vi) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "संबंधित विभाग या प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के विभाग या परिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (vii) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "संबंधित विभाग या प्राधिकारियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के विभाग या परिकरणों" प्रतिस्थापित की जायेगी और अंत में आये विद्‌यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(viii) ऐसे अन्य कृत्यों या निदेशों का निर्वहन करना जो सरकार या बोर्ड और/या, यथास्थिति, राज्य सशक्त समिति द्‌वारा समय-समय पर समनुदेशित किये/दिये जायें।"।

6. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(i) शीर्षक में आयी विद्‌यमान अभिव्यक्ति "**संबंधित विभाग या प्राधिकारी**" के स्थान पर अभिव्यक्ति "**सरकार के संबंधित विभाग या परिकरण**" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (1) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार का विभाग या परिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "संबंधित विभाग या प्राधिकारी", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार का संबंधित विभाग या परिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी और विद्‌यमान अभिव्यक्ति "संबंधित विभाग या प्राधिकारी का" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के संबंधित विभाग या परिकरण का" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के सभी संबंधित विभाग या परिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्‌यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस धारा के अधीन अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही अध्यपेक्षित की जायेगी। जिला सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले मामलों की दशा में, ऐसा अध्यपेक्षा-पत्र केवल नोडल एजेंसी के माध्यम से भेजा जायेगा।"; और

(ii) उप-धारा (3) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "नोडल एजेंसी" के पश्चात् और विद्‌यमान अभिव्यक्ति "को पृष्ठांकित करेगा" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या सरकार के संबंधित विभाग या, यथास्थिति, परिकरण" अंत:स्थापित की जायेगी।

9. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 में,-

(i) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "संबंधित विभाग या प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकार के संबंधित विभाग या परिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (3) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "मंत्रि-परिषद्" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "राज्य सशक्त समिति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड या राज्य सशक्त समिति" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) राज्य में विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध मंजूरी के लिए तथा सक्षम प्राधिकारियों के समय पर कार्य करने में विफल रहने की दशा में उपयोग में लायी जाने वाली एक वैकल्पिक एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए और विनिधानकर्ता के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता देने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

राज्य सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले विनिधान प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी रूप से सुकर बनाने और राज्य में उद्यमों की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुमोदनों/अनुज्ञाओं हेतु शीघ्रता के लिए, विनिधान संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) के माध्यम से विनिधानकर्ता को एक ही छत के नीचे व्यापक और निर्बाध सहायता उपलब्ध करवाने के लिए "वन स्टॉप शॉप" के नाम से एक नई संकल्पना को लाया जाना समुचित समझा गया है। इसलिए, राज्य सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 के कतिपय उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(36) विधि /2/2020 जयपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2020(प्रेषक: परसादी लाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान उद्यम एकल खिडकी सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम और विनियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो उससे राज्य की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित होगा।

बोर्ड के लिए अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना और उसके सचिवालय के सृजन से तथा विद्यमान ऑनलाइन एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली का वन स्टॉप शॉप प्रणाली में प्रौद्योगिकी उन्नयन करने से लगभग एक सौ सत्तर लाख रुपये का अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होगा।

अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना के अनुरक्षण, उन्नत ऑनलाइन वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अनुरक्षण, विद्युत और जल तथा अन्य संबंधित खर्चों के लिए लगभग दो सौ बीस लाख रुपये का आवर्ती व्यय अंतर्वलित होगा।

इसके अतिरिक्त, लगभग दो सौ पैंतीस लाख रुपये अनावर्ती व्यय के रूप में रीको द्वारा वहन किये जायेंगे।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विनिधान संवर्धन ब्यूरो" से धारा 4 के अधीन यथा घोषित विनिधान संवर्धन ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, या किसी राजस्थान विधि के अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित ऐसा कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में कोई उद्यम स्थापित करने या उसकी संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञाएं मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(ग) से (ठ) XX XX XX XX XX

3. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनिधान के संवर्धन के प्रयोजन के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए धारा 11 में यथा उल्लिखित फायदों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मंत्रि-परिषद् की सहायता हेतु और, यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो राजस्थान विधियों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञाओं के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने के लिए राज्य सशक्त समिति का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सशक्त समिति, रियायतें देने के लिए आवेदनों का परीक्षण करेगी या किसी भी राजस्थान विधि के उपबंधों से छूट या शिथिलीकरण को मंजूर करेगी, विभागों की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों,

विचार करेगी, जहां भी आवश्यक हो वहां विनिधानकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और मंत्रि-परिषद् को सिफारिशें करेगी। मंत्रि-परिषद् को सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय-सीमा ऐसी होगी जो धारा 12 के अधीन विहित की जाये।

(3) से (6) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

6. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.- सरकार और राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) से (iv) XX XX XX XX XX

(v) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;

(vi) संबंधित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हों, को धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर राज्य सशक्त समिति को प्रस्तुत करना;

(vii) यदि विहित समय-सीमा में संबंधित विभाग या प्राधिकारियों से कोई भी टिप्पणी प्राप्त न हो तो धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन को धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, राज्य सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

7. संबंधित विभाग या प्राधिकारी की बाध्यताएं.- (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के खण्ड (i) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा उसको अग्रेषित किये गये आवेदन पर धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा।

(2) संबंधित विभाग या प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, धारा 6 के खण्ड (v) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा चाही गयी टिप्पणियां उपलब्ध करायेगा, और, यदि संबंधित विभाग या प्राधिकारी,

विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि धारा 11 में यथा उल्लिखित अध्यपेक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के संबंध में संबंधित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

8. आवेदन का प्ररूप.- (1) XX XX XX XX

(2) सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए और अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्ररूप स्वीकार करेंगे।

(3) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

10. अतिरिक्त सूचना मंगाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.- (1) अनुज्ञाओं के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को आवेदक से, यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की शक्तियां होंगी:

परन्तु इस धारा के अधीन अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही अध्यपेक्षित की जा सकेगी और अध्यपेक्षा-पत्र नोडल एजेंसी के माध्यम से भेजा जायेगा।

(2) XX XX XX XX XX

(3) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन को कारणों सहित मंजूर करने या नामंजूर करने के पश्चात् अपने आदेश सम्बन्धित विनिधानकर्ता को भेजेगा और उनकी एक प्रति सम्बन्धित नोडल एजेंसी को पृष्ठांकित करेगा।

XX XX XX XX XX

12. आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमाएं.- (1) XX XX XX XX XX

(2) सरकार, नोडल एजेंसी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विभाग या प्राधिकारी से टिप्पणियों के लिए और उनको राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

(3) सरकार, राज्य सशक्त समिति के लिए, इसकी सिफारिशें मंत्रि-परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

XX XX XX XX XX

16. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

XX XX XX XX XX

Bill No. 27 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ENTERPRISES SINGLE WINDOW ENABLING AND CLEARANCE (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In section 2 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(a)"Board" means the Board of Investment established and constituted under section 2-A;" ;

(ii) after clause (aa) so renumbered and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(aaa) "Commissioner" means the Commissioner (Investment and NRIs) of Bureau of Investment Promotion;";

(iii) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“ (b) “Competent Authority” means-

(i) in case, proposals falling under jurisdiction of District Empowered Committee, any department or agency of the Government, Local Authority, Statutory Body, State owned Corporation, Gram Panchayat, Municipality, or any other authority or Agency constituted or established under any Rajasthan law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant permission for setting up or commencement of operation of an enterprise in the State; and

(ii) in case, proposals falling under jurisdiction of State Empowered Committee, the Commissioner and/or officers of concerned departments/ instrumentalities of the Government, deputed in the office of Bureau of Investment Promotion;"; and

(iv) after the existing clause (h) and before the existing clause (i), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(hh) "One Stop Shop" means the comprehensive and hassle free assistance provided by the Government or its instrumentalities under one roof through Nodal Agency to investor from the time he submits viable investment proposal falling under the jurisdiction of the State Empowered Committee, till the commencement of operation of an enterprise;".

3. Insertion of new sections 2-A, 2-B, 2-C, 2-D and 2-E, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- *After the existing section 2 and before the existing section 3 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-*

*"**2-A. Establishment and constitution of the Board.-** (1) The Government shall establish and constitute a Board to be called the Board of Investment.*

(2) The Board shall consist of the following, namely:-

(i)	*the Chief Minister*	*Chairperson;*
(ii)	*the Minister in-charge of Industry Department*	*Vice-Chairperson;*
(iii)	*the Minister in-charge of Finance Department*	*Member;*
(iv)	*the Chief Secretary*	*Member;*
(v)	*the Secretary in-charge of the Department of Industry*	*Member;*
(vi)	*the Secretary in-charge of the Department of Finance*	*Member;*
(vii)	*the Commissioner*	*Member-Secretary.*

***Explanation.-** For the purpose of this sub-section, "Secretary in-charge" means the Secretary in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he is in-charge of a department.*

(3) The Minister in-charge and the Secretary in-charge of the concerned department(s) may be invited as special invitees in the meetings of the Board but they shall have no right to vote on any matter before the Board for decision.

(4) The Board shall be the apex body for providing accelerated approvals and permissions to the investment proposals considered under section 3 and for all the matters related and incidental thereto industrial development and investment promotion for the State.

(5) The Secretariat of the Board shall be Office of the Bureau of Investment Promotion at Jaipur.

(6) The State Empowered Committee shall make its recommendations to the Board for taking decisions related to investment proposals falling under its jurisdiction.

***2-B. Meeting of the Board.-** (1) The Board shall hold its meeting on such date and at such time and place as it may determine.*

(2) The meetings of Board shall be presided over by the Chairperson.

(3) The Board shall follow such rules of procedure while transacting business at its meetings as may be prescribed.

2-C. Vacancies, etc. not to invalidate act or proceedings.- *No act or proceedings of the Board shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.*

2-D. Powers and functions of the Board.- *The powers and functions of the Board shall be as follows:-*

(i) to consider, review, formulate and approve policies, programmes and schemes for promoting investment in the State in enterprises and infrastructure sector(s);

(ii) to provide guidance and directions for making requisite modifications in the policies, procedures and systems made to accelerate economic growth and development and employment generation in the State;

(iii) to provide approval for customized packages, concessions, exemptions or relaxations and other benefits to the enterprises which are beyond the scope of policies of the Government by making requisite amendments therein;

(iv) to consider and dispose of inter departmental issues pertaining to investment proposals;

(v) to give directions, if necessary, to Bureau of Investment Promotion and also to the concerned departments or instrumentalities of the Government through Bureau of Investment Promotion to promote investment in the State from time to time;

(vi) to consider, review and take decision on such matters as may be referred by the State Empowered Committee; and

(vii) to exercise such powers and perform such functions as may be necessary for promoting

investment and to generate opportunities of employment in the State.

***2-E*. *Disposal of Applications under One Stop Shop*.-** *(1) All proposals falling under the jurisdiction of the State Empowered Committee shall be considered, examined and disposed of under One Stop Shop.*

(2) The Commissioner shall be administrative head of Nodal Agency mentioned in sub-section (1) of section 5 and shall be responsible for all affairs of the Nodal Agency.

(3) The officers of the concerned departments or instrumentalities of the Government shall be deputed on part time basis in the office of Nodal Agency mentioned in sub-section (1) of section 5 for providing necessary approvals and clearances of their concerned departments or instrumentalities of the Government.

(4) The officers so deputed in the office of Nodal Agency shall be responsible for disposal of proposals so received from the investors within the time prescribed under section 12 by taking necessary assistance from their concerned departments or instrumentalities of the Government, if required, and the same shall be submitted to the Commissioner and he shall, if required, coordinate with concerned department or instrumentality of the Government.

(5) The Commissioner and/or officers so deputed, as the case may be, shall be empowered by the concerned departments including instrumentalities of the Government by delegating their powers for granting requisite approvals/permissions pertaining to their departments or instrumentalities of the Government, as the case may be, to the investment proposals by making necessary amendments in the State Acts and rules and regulations made thereunder to carry out the purposes of the Act.

(6) The Commissioner shall, on behalf of the departments and instrumentalities of the Government concerned, exercise his powers, authenticate the documents and issue necessary orders and grant approvals/ permissions under his signatures, till the commencement of commercial production or operation of the enterprises concerned.

(7) The Commissioner shall exercise supervision and control over, the officers and employees of the Bureau of Investment Promotion and, the officers so deputed on part time basis in the Bureau of Investment Promotion and he shall discharge other duties which are necessary to carry out the purposes of the Act.

(8) Where the proposals so submitted for investment are not disposed of within the time limit prescribed under sub-section (4), they shall be referred to the State Empowered Committee.".

4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In section 3 of the principal Act,-

(i) in sub-sections (1) and (2), for the existing expression "Council of Ministers" wherever occurring, the word "Board" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the existing word "departments", the expression "departments including instrumentalities of the Government" shall be substituted.

5. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In section 6 of the principal Act,-

(i) in clause (v), for the existing expression "concerned departments or authorities", the expression "departments or instrumentalities of the Government" shall be substituted;

(ii) in clause (vi), for the existing expression "concerned department or authority", the expression "department or instrumentality of the Government" shall be substituted;

(iii) in clause (vii), for the existing expression "concerned department or authorities in the prescribed time limit.", the expression "department or instrumentalities of the Government in the prescribed time limit;" shall be substituted and after clause (vii) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(viii) to discharge such other functions or directions, as may be assigned/given by the Government or the Board and/or the State Empowered

Committee, as the case may be, from time to time.”.

6. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 7 of 2011.-In section 7 of the principal Act,-

(i) in heading, for the existing expression “**department or Authority**”, the expression “**department or instrumentality of the Government**” shall be substituted;

(ii) in sub-section (1), for the existing expression “Competent Authority”, the expression “department or instrumentality of the Government” shall be substituted; and

(iii) in sub-section (2), for the existing expression "department or authority" wherever occurring, the expression "department or instrumentality of the Government" shall be substituted.

7. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In sub-section (2) of section 8 of the principal Act, for the existing expression "departments or authorities", the expression "departments or instrumentalities of the Government" shall be substituted.

8. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In section 10 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that the additional information under this section shall be requisitioned only once. In case of matters falling under the jurisdiction of District Empowered Committee, such requisition letter shall be sent through the Nodal Agency only.”; and

(ii) in sub-section (3), after the existing expression “Nodal Agency” and before the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the expression “or the department or instrumentality of the Government concerned, as the case may be” shall be inserted.

9. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In section 12 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for existing expression "department or authority", the expression

"department or instrumentality of the Government" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (3), for the existing expression "Council of Ministers", the word "Board" shall be substituted.

10. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 7 of 2011.- In section 16 of the principal Act, after the existing expression "Chairperson or other members of" and before the existing expression "State Empowered Committee", the expression "the Board or" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011) was enacted to provide for accelerated and time-bound grant of various licences, permissions and approvals and to enable an alternative single window clearance mechanism to be triggered in case of failure of competent authorities to act in time and to support an investor friendly environment in the State.

To facilitate the investment proposals falling under the jurisdiction of the State Empowered Committee more effectively and expedite for requisite approvals/permissions for setting up enterprises in the State, it is considered appropriate to introduce a new concept namely "One Stop Shop" under one roof to provide comprehensive and hassle free assistance to the investor through Bureau of Investment Promotion (BIP). Therefore, the State Government has decided to make necessary amendments in the aforesaid Act. Accordingly, certain provisions of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 are proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence, the Bill.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(36) विधि /2/2020 जयपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2020 (प्रेषक: परसादी लाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान उद्यम एकल खिडकी सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules and regulations to carry out the purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill, if enacted shall involve expenditure from the Consolidated Fund of the State.

Creation of additional physical infrastructure for Board and its Secretariat and technology upgradation of existing online Single Window Clearance System into One Stop Shop System shall involve non-recurring expenditure of approximately rupees one hundred seventy lakh.

There shall be recurring expenditure of approximately rupees two hundred twenty lakh for the maintenance of additional physical infrastructure, maintenance of the upgraded online One Stop Shop System, electricity and water and other related expenses.

Besides, approximately rupees two hundred thirty five lakh as non-recurring expenditure will be borne by RIICO.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ENTERPRISES SINGLE WINDOW ENABLING AND CLEARANCE ACT, 2011
(Act No. 7 of 2011)

XX XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Bureau of Investment Promotion" means the Bureau of Investment Promotion as declared under section 4;

(b) "Competent Authority" means any department or agency of the Government, Local Authority, Statutory Body, State owned Corporation, Gram Panchayat, Municipality, or any other authority or Agency constituted or established under any Rajasthan law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue permissions for setting up or commencement of operations of an enterprise in the State;

(c) to (l) xx xx xx xx xx xx

3. Constitution, powers and functions of State Empowered Committee and District Empowered Committee.- (1) The Government may, by notification, constitute a State Empowered Committee to assist Council of Ministers in considering the proposals for benefits as mentioned in section 11 for the purpose of promoting investment and for setting up of enterprises in the State and to consider and dispose of applications for permission required under Rajasthan laws in case the Competent Authority has failed to consider and dispose of such applications within the time limit prescribed under section 12.

(2) The State Empowered Committee shall examine the applications for giving concessions or grant exemption or relaxation from the provisions of any Rajasthan law, take into consideration the comments of the departments, if any, hold discussions with the investors, wherever necessary and make recommendations to the Council of Ministers. The time limit for

submitting recommendations to the Council of Ministers shall be such as may be prescribed under section 12.

(3) to (6) xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX XX

6. Powers and functions of Nodal Agency.- Subject to the superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, the powers and functions of the Nodal Agency shall be as follows:-

(i) to (iv) xx xx xx xx xx xx

(v) to seek comments of the concerned departments or authorities on the application for relaxations, exemptions and concessions as mentioned in section 11 received from the investor;

(vi) to submit the comments of the concerned department or authority, if any, to the State Empowered Committee within the time limit prescribed under section 12;

(vii) to submit the application for relaxations, exemptions and concessions as mentioned in section 11, received from the investor to the State Empowered Committee within the time limit prescribed under section 12, in case no comments are received from the concerned department or authorities in the prescribed time limit.

7. Obligations of concerned department or authority.- (1) The Competent Authority shall consider and dispose of the application forwarded to it by the Nodal Agency under clause (i) of section 6 within the time limit prescribed under section 12.

(2) The concerned department or authority shall provide comments sought by the Nodal Agency under clause (v) of section 6, within the prescribed time limit, and, if the concerned department or authority fails to provide comments within the prescribed time limit, it shall be deemed that the concerned department or authority has no objection or suggestion regarding the requisite relaxations, exemptions and concessions as mentioned in section 11.

8. Application form.- (1) xx xx xx xx

(2) All departments or authorities concerned shall accept such application form for processing and issue of required permission.

(3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

10. Power of Competent Authority to call for additional information.- (1) On receipt of an application for permissions, the Competent Authority shall have powers to obtain additional information, if required, from the applicant:

Provided that the additional information under this section shall be requisitioned only once and requisition letter shall be sent through the Nodal Agency.

(2) xx xx xx xx xx xx

(3) The Competent Authority shall, after sanctioning or rejecting, with reasons, the application, send its orders to the concerned investor and endorse a copy thereof to the concerned Nodal Agency.

XX XX XX XX XX XX XX

12. Time limits for processing of applications.- (1) xx xx xx xx xx xx

(2) The Government may prescribe time limit for Nodal Agency to process the application and the comments from the Competent Authority, concerned department or authority, and submissions of the same to the State Empowered Committee and District Empowered Committee, as the case may be.

(3) The Government may prescribe time limit for the State Empowered Committee for submitting its recommendations to the Council of Ministers.

XX XX XX XX XX XX XX

16. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against the Chairperson or other members of State Empowered Committee or District Empowered Committee or any employee of the Government acting under the direction of such committee in respect of anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

XX XX XX XX XX XX XX

<u>2020 का विधेयक सं. 27</u>

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(परसादी लाल, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 27 of 2020

THE RAJASTHAN ENTERPRISES SINGLE WINDOW ENABLING AND CLEARANCE (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(Parsadi Lal, **Minister-Incharge**)